विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
15. (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् में 20 वर्ष से अधिक समय से तैनात शिक्षामित्र कुशल श्रमिक संवर्ग में आते है या अकुशल श्रमिक संवर्ग में आते है ?	जी नहीं। शिक्षा मित्र श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं।
(ख) इनका वेतन निर्धारण किस दक्षता के आधार पर किया जाता है ?	शिक्षा मित्रों के चयन की कार्यवाही ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन इण्टर मीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर 11 माह के लिए नियत मानदेय पर की जाती थी। शिक्षा मित्र संविदा पर कार्यरत हैं, जिसे विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 32599 / 2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव में पारित मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-07-2017 के अनुपालन में शासनादेश संख्या: 1928 /79-5 -2017-282 / 98 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय रू0 3500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 10000 /- प्रतिमाह दिया जा रहा है ।
(ग) क्या अयोध्या मण्डल स्थित जनपदों में कार्यरत शिक्षामित्र जो कम से कम 20 वर्ष की सेवा दे चुके है, इन पर इ0पी0एफ0 योजना लागू की गई है ?	जी नहीं।
(घ) यदि हॉ, तो कब से?	प्रश्न नहीं उठता।
(ड.) यदि नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्तानुसार।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री(स्वतन्त्र प्रभार)।